बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

विज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2016–17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति अंतर्गत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देश के अंतर्गत सरकारी / मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को नवीकरण छात्रवृत्ति के अंतर्गत पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत योग्य छात्र / छात्राओं तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र / छात्राओं के लिए आवश्यक सूचना ।

- पात्रता : (i) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राएँ। (ii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी।
- अर्हता : (i) आवेदक के माता–पिता / अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) मात्र तक होना चाहिए। (ii) आवेदक बिहार राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर सरकारी / गैर सरकारी (मान्यता प्राप्त) शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हो। (iii) एक माता–पिता के मात्र 02 (दो) पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होगा। (iv) आवेदक के पास भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पात्रता होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता **https://bcebcwelfare.bih.nic.in** एवं **https://socialjustice.nic.in/postmatric.php** पर उपलब्ध है। (v) यदि किसी छात्र / छात्राओं को अन्य संस्थानों / योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत दोहरा लाभ अनुमान्य नहीं होगा। छात्र / छात्राओं एक से अधिक छात्रवृत्ति / वजीफा प्राप्त होने पर किसी एक का ही चयन कर सकते हैं।
- छात्रवृत्ति की देय राशि : विभागीय संकल्प 590 दिनांक–27.03.2017 के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति।
- आवेदन की प्रक्रिया :
  ❖ आवेदन हेतु वेबसाईट https://bcebcwelfare.bih.nic.in पर देखें। ❖ मात्र Online ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जायेंगे। आवेदक Online आवेदन से संबंधित दिशा–निर्देश के अनुसार ही आवेदन करें। छात्र एवं छात्रा स्वयं का एवं संस्थान का बैंक खाता संख्या (Bank Account No.) संबंधी सही–सही विवरण आवेदन में अवश्य ही प्रविष्ट करें। ❖ Online आवेदन करने के उपरांत इसकी प्रति डाउनलोड कर संस्थान प्रधान को समर्पित करेंगे।
- आवेदन कहाँ भेजना है : ❖ संस्थान प्रधान आवेदक से प्राप्त हार्ड कॉपी का सत्यापन एवं यथा–स्थान हस्ताक्षर के उपरांत राज्य से बाहर पढ़ने की स्थिति में गृह जिला (Home District) के जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में एवं राज्य के अंदर पढ़ने की स्थिति में जिस जिला में अध्ययनरत हैं उस जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ❖ अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
- आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र : ❖ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। ❖ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत माता–पिता / अभिभावक का अद्यतन आय प्रमाण–पत्र । ❖ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। ❖ विगत वर्ष का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यथा–अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र। ❖ शिक्षण संस्थान का अनिवार्य शुल्क की मदवार अग्रसारित विवरणी। ❖ आवेदन पत्र में बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम तथा बैंक का आई0एफ0एस0 कोड अंकित करने के साथ साक्ष्य के रूप में बैंक पास–बुक के प्रथम पृष्ठ की छाया–प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। ❖ छात्रावासी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)। ❖ अभिभावक का घोषणा–पत्र। ❖ स्व अभिप्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर। (जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार एवं बिहार लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS) के तहत ही निर्गत होनी चाहिए।)
- आवेदन करने की तिथि : ❖ Online आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि:–24.04.2017 (सोमवार) ❖ Online आवेदन करने की अंतिम तिथि:–22.05.2017 (सोमवार) ❖ संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में संबंधित संस्थान प्रधान द्वारा सत्यापित एवं अनुशंसित हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि:–10.06.2017 (शनिवार)।

नोट : (1) विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
(2) संस्थान प्रधान द्वारा आवेदकों का सत्यापित हार्ड कॉपी विभाग को सीधे भेजने पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाद में इस प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
(3) एक आवेदक द्वारा एक ही आवेदन किया जायेगा।

12/04/17

सरकार के उप सचिव